न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 142 GCMS:-2017/00122 दायर दिनांक : 28.08.2017

1. भादरराम पुत्र श्री रामलाल जाति जाट निवासी सरदारपुराखर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. हरचन्द (फौत) पुत्र श्री रामलाल
   2/1. सोना पत्नी } श्री हरचन्द जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था
   2/2. रचना पुत्री } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

   2/3. सुमन पुत्री
   2/4. बादू पुत्री } पुत्री श्री हरचन्द नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता सोना पत्नी श्री हरचन्द जाति जाट निवासी सरदापुराखर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानर।
   2/5. कलावती पुत्री
3. सुलतान } पुत्र श्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी सरदारपुरा
4. ओमप्रकाश } खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र श्री कालूराम जाति बैरागी निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. 1955 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः

1. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र सुथार, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 15.09.2020

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विचारणीय तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 183 सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. एवं धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके नाम से रोही सरदारपुरा खर्था के ख.न. 210 में 4.775 है. प्रार्थी न. 1 व 2 के नाम व ख.न. 211 में 4.541 है. प्रार्थी स. 3 व 4 के नाम मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 2074 के खाता संख्या 69/56 व 114/78 से पूर्ण रूप से सिद्ध होता है, उक्त भूमि से चिपत्ते ख.न. 213 में 3.517 है. भूमि हनुमान पुत्र श्री कालूराम जाति बैरागी निवासी सरदारपुरा खर्था के नाम से दर्ज है। ख.न. 210 व 211 कि सीमा अप्रार्थी न. 1 के नाम अंकित भूमि रोही सरदारपुराखर्था के ख.न. 213 से सटी हुई है इसी का फायदा उठाकर अप्रार्थी न. 1 ने ख.न. 210 व 211 की 213 से सीमा को बढ़ाते हुये ख.न. 210 व 211 में 5.00 बीघा लम्बाई में 2.10 बीघा पर नाजायज कब्जा कर अपने खेत में मिला लिया है व उसमें नाजायज काश्त कर रहा है।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

क्रमशः पेज 2 पर.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:49:18 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि से बेदखली हेतू वाद प्रस्तुत किया जा चुका है वाद चलन के दौरान अप्रार्थी अतिचारित भूमि पर जबरन काश्त कर रहा है बार–बार सीमा ज्ञान करने पर भी भूमि को नहीं छोड़ रहा है व बतौर नाजायज काश्तकार रोही सरदारपुरा खर्था कि ख.न. 210 व 211 में प्रार्थीगण के नाम से अंकित दोनों खसरों की भूमि कमशः 4.775 है. व 4.541 है. कुल 9.316 है. में से 2.10 बीघा भूमि जो खसरा न. 213 से सटी हुई है पर नाजायज काश्त कर रहे है दौराने वाद नाजायज काश्त भूमि के फल से प्रार्थीगण के हितो की सुरक्षा हेतू वाद ग्रस्त भूमि 2.10 बीघा भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावें अथवा नकद प्रतिभूति 20,000/–रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष की दर से अप्रार्थी से बतौर जमानत वसूल की जावें, रकम जमा ना कराने पर उक्त भूमि रिसीवर तहसीलदार सूरतगढ़ को नियुक्त किया जावें ताकि प्रार्थीगण के हितो की सुरक्षा हो सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को तलब किया गया, अभिभाषक अप्रार्थी कि ओर से उपस्थित आये ओर जवाब पेश किया जवाब में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों से इन्कार किया वाद एवं प्रार्थना पत्र आदेश 07 रूल 11 सी.पी.सी. के तहत निरस्त करने की प्रार्थना की गई साथ ही निवेदन किया कि दस्तावेजी साक्ष्य से अप्रार्थी अतिचारी साबित नहीं होता इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी पक्षकार के उपस्थित आने व जवाब प्रस्तुत करने के बाद प्रार्थना पत्र पर तर्क सुने गये, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि रोही सरदारपुरा खर्था के ख.न. 210 में 4.775 है. भूमि भादरराम व हरचन्द के नाम से अंकित है व वर्तमान में हरचन्द फौत हो चुका है उसके स्थान पर उसके वारिसान को पक्षकार बना लिया गया है। इसी प्रकार ख.न. 211 में 4.541 है. भूमि प्रार्थी सं. 3 व 4 सुलतान, ओमप्रकाश के नाम दर्ज कागजात है इस भूमि के बारे में मई 2009 में व जून 2017 में पैमाईश रोबरू गवाहान पटवारी हल्का द्वारा करवाई गई जिसमें अप्रार्थी को मौका पर बताया गया कि उनका 2.10 बीघा पर नाजायज कब्जा है, बावजूद सूचना अप्रार्थी ने कब्जा नहीं छोड़ा व लगातार नाजायज काबिज काश्तकार ख.न. 210 व 211 की 2.10 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर फायदा उठा रहा है अप्रार्थी द्वारा इससे पूर्व एक वाद पत्र भी अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत किया था जो कि खारिज हो चुका है व नाजायज उपज का फायदा उठा रहा है। प्राकृतिक न्याय व समानता के आधार पर दौराने वाद ख.न. 210 ओर ख.न. 211 पर ख.न. 213 से सटी सीमा में 2.10 बीघा हेतू नकद प्रतिभूमि लगाई जाये अथवा भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे ताकि दौराने वाद प्रार्थीगण के हितो कि सुरक्षा हो सकें। इस हेतू प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है जिसका जवाब प्रति शपथ पत्र से अप्रार्थी द्वारा नहीं दिया गया है। तर्को के समर्थन में आर.आर.डी 1995 पेज 76 सुरजाराम बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू का प्रकाशित न्याय निर्णय प्रस्तुत किया, योग्य अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा तर्क दिया कि भूमि की दो बार पैमाईश करवाई गई है जिसमें कही भी अप्रार्थी को अतिक्रमी नहीं माना गया इस अवस्था में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है।

कमशः पेज 3 पर.....

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:49:18 IST
Reason: SelfAttested

योग्य अभिभाषकगण के तर्क सुनने के बाद पूर्ण पत्रावली का ध्यान पूर्वक पठन व मनन किया व न्याय निर्णय का भी पठन किया गया, पूर्ण पत्रावली के पठन से पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा यह पूर्ण रूप से सिद्ध किया गया है कि रोही सरदारपुरा खर्था के ख.न. 210 व 211 में उनके नाम क्रमशः 4.775 है. व 4.541 है. कुल 9.316 है. भूमि खातेदारी है पक्षकारान के बीच सीमा का विवाद है और प्रार्थीगण के शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी उनकी 2.10 बीघा भूमि पर जो रोही सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ के ख.न. 213 से चिपती हुई है में सीमा विवाद है बार–बार नपाई हुई है जिसमें प्रार्थीगण के शपथ पत्र अनुसार अप्रार्थी 2.10 बीघा पर नाजायज काबिज है इसका प्रति शपथ पत्र नहीं आया है विवाद का निर्णय वाद के अंतिम निपटारे में होगा तब तक प्रार्थीगण के हितो की सुरक्षा नहीं की गई उस अवस्था में न्याय हनन होने की सम्भावना है इस अवस्था में प्राकृतिक न्याय व दिये गये न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर.डी. 1995 पेज 76 की न्याय भावना के अनुसरण में पक्षकारान को समान स्थिति में लाने के लिये व उनके हितो की सुरक्षा हेतू यह उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर वाद चलन के दौरान अप्रार्थी न. 1 को पाबंध किया जावें कि वह कथित 2.10 बीघा हेतू 12,000/–रूपये प्रति बीधा प्रति वर्ष की नकद प्रतिभूमि अन्दर योम 15 तहसीलदार सूरतगढ़ के यहॉ जमा करावें जमा ना कराने पर रोही सरदारपुरा खर्था के ख.न. 210 व 211 की 213 से चिपती अप्रार्थी के काश्त शुदा भूमि को कुर्क कर अपने अधिकार में ले व काश्त की व्यवस्था ता फैसला वाद करायें इस हेतू उन्हें इस भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

हुक्म सुनाया गया, आदेशानुसार तहसीलदार सूरतगढ़ को पत्र जारी हो, पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:49:18 IST
Reason: SelfAttested